



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 04.09.2023

- अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।
- थाना शिवली पुलिस की कार्यवाही से मु0अ0सं0 303/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार।
- एक अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये थाना शिवली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-303/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्तगण 1. सुरेश यादव पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम रास्तपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात 2. इस्लाम पुत्र बाबू अली निवासी ग्राम रास्तपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात मूल निवासी संदलपुर गडिया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 04.09.2023 को मुखबिर खास की सूचना पर मैथा नहर पुल के पास थाना क्षेत्र शिवली से मय 01 अदद बिना नं0 प्लेट काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल, चेचिस नं0 MD2B64BX2MRD05975 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सुरेश उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना शिवली पर मु0अ0सं0-313/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. सुरेश यादव पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम रास्तपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2. इस्लाम पुत्र बाबू अली निवासी ग्राम रास्तपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त सुरेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 303/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम
2. मु0अ0सं0 313/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम
3. मु0अ0सं0 076/2022 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(2)(5ए) एससीएसटी एक्ट
4. मु0अ0सं0 591/2020 धारा 323/325/504/506 भा0द0वि0

अभियुक्त इस्लाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 303/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम

बरामदगी -

1. अभियुक्त सुरेश उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया ।

2. 01 अदद बिना नं0 प्लेट काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल, चेचिस नं0 MD2B64BX2MRD05975 ।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री शिव नरायन सिंह थाना शिवली कानपुर देहात
2. उ0नि0 श्री करवेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी औनहा थाना शिवली कानपुर देहात
3. हे0का0 306 सुधीन्द्र यादव थाना शिवली कानपुर देहात
4. का0 1138 ब्रजमोहन सिंह थाना शिवली कानपुर देहात